IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)
Volume 29, Issue 2, Series 1 (February, 2024) 69-77
e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
www.iosrjournals.org

ग्रामीण विकास व निर्धनता उन्मूलन में मनरेगा की भूमिका

प्रदीप कुमार
शोधार्थी, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (राज.) 301001

शोध सारांश
ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने एवं रोजगार की स्थिति को बेहतर बनाने के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करने के उद्देश्य सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में अनेक नए कार्यक्रमों की शुरूआत की गई। पूर्व के कार्यक्रमों को संशोधित कर और अधिक प्रभावशाली बनाने तथा विकास की प्रक्रिया में जनभागीदारी बनाने हेतु प्रयास किए गए हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण विकास हेतु अधिकतम संसाधन उपलब्ध कराकर ग्रामीण अंचलों में जनसुविधाओं का विस्तार, रोजगार के अधिकतम अवसर एवं गरीब परिवारों के आर्थिक स्तर में सुधार लाने हेतु अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं। (मनरेगा) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम एक ऐसा अधिनियम, योजना व कानून है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत के लगभग सभी राज्यों में क्रियान्वित करायी जा रही है। यह वह योजना है जो ग्रामीण समुदाय के व्यक्तियों को स्वरोजगार के समान अवसर प्रदान करती है। यह उन सभी अर्ध–कौशल, कौशलपूर्ण व खेतीहर श्रमिको के लिए है जिनकी मासिक आय न्यूनतम है एवं मौसमी कृषि या व्यवसाय के उपरान्त बेरोजगार हो जाने पर उनका पलायन रोजी–रोटी की तलाश में शहर की ओर आता है। इन सभी प्रकार की समस्याओं के निराकरण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीणों का पलायन रोकने एवं उन्हें स्वरोजगार के समान अवसर प्रदान करने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा) का क्रियान्वयन बड़ी ही अर्थ – कौशल ढंग से सरकार द्वारा किया जा रहा है। शोधार्थी द्वारा अध्ययन क्षेत्र में यह जानकारी प्राप्त करने के लिए की ग्रामीणों को मनरेगा योजना का अर्थ या गुण ज्ञात है अथवा नहीं साक्षात्कार किया गया जिससे यह परिणाम सामने आये ।

मुख्य बिन्दु :– मनरेगा की अवधारणा, मनरेगा की संचालन प्रणाली का स्तर, मनरेगा योजना की आंतरिक / बाह्य कार्यप्रणाली, महात्मा गांधी नरेगा की आलोचनाएं एवं निष्कर्ष ।

मनरेगा परिचय :–

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (डळछ।त्म्ळ।) एक भारतीय रोजगार गारण्टी योजना है। जिसे 25 अगस्त 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया है। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों जो कि अकुशल श्रमिक, खेतिहर मजदूर है। उन्हें वर्ष में (100) दिनों का रोजगार उपलब्ध कराती है। जो कि 100/– 5 . की प्रतिदिन संविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार है।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 में इस योजना के लिए केन्द्र सरकार का परिव्यय 40, 100 करोड़ रूपए है। जिसको वर्तमान में 48000 करोड़ कर दिया गया है। इस अधिनियम का ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए अर्ध–कौशल पूर्ण या बिना कौशलपूर्ण कार्य, चाहे वे गरीबी रेखा के नीचे हो या नियत कार्य बल पर कार्य प्रदान किया जाना इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना की मुख्य विशेषता महिला वर्ग जो कि ग्रामीण क्षेत्रो में रहती है। उन्हें कार्य प्रदान कर सशक्त व आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना में नियत कार्यबल के करीब एक तिहाई भाग महिलाओं से निर्मित है। इस योजना में केवल महिला ही नहीं वरण पुरुषों द्वारा भी कार्य किया जाता है।

इस योजना की अधिक जानकारी व सलाह एवं परामर्श प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा खोले गए कॉल सेन्टर के मुफ्त नम्बर 1800–345–22–44 पर सम्पर्क किया जा सकता है। शुरू में इस योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना कहा जाता था। (डळछ।त्म्ळ।) परन्तु 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामकरण किया गया इस अधिनियम को ताम दल समर्थित संप्रग सरकार द्वारा लाया गया था।

यह अधिनियम राज्य सरकार को (डळछ।त्म्ळ।) अधिनियम को लागू करने का निर्देश देता है। (डळछ।त्म्ळ।) के तहत केन्द्र सरकार मजदूरी की लागत माल की लागत का 3/4 और प्रशासनिक लागत का कुछ प्रतिशत वहन करती है।

राज्य शासन बेरोजगारी भत्ते का एवं माल की लागत का 1/4 और राज्य परिषद प्रशासनिक लागत को वहन करती है। चूंकि राज्य सरकारें बेरोजगारी भत्त देती है। उन्हें श्रमिकों की रोजगार प्रदान करने के लिए भी भारी प्रोत्साहन दिया जाता है। हालांकि बेरोजगारी भत्ते की राशि को निश्चित करना राज्य सरकार पर निर्भर है जो इस शर्त के अधीन है कि यह पहले 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी का 1/2 से कम ना ही प्रति परिवार (100) दिनों का रोजगार या

बेरोजगारी भत्ता समझ और इच्छुक श्रमिकों को हर वित्तीय वर्ष में प्रदान किया जाना चाहिए। ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य, ग्राम पंचायत के पास एक तस्वीर के साथ अपना नाम, उम्र और पता जमा करते हैं। जांच के बाद पंचायत, घरो के सदस्यों का निवास, कार्य करने क्षमता, स्थिति इत्यादि को सत्यापित करता है। और एक जॉब कार्ड प्रदान करता है। जॉब कार्ड में पंजीकृत वयस्क सदस्य का ब्यौरा और उसकी फोटो शामिल होती है। एक पंजीकृत व्यक्ति या तो पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी को लिखित रूप में (निरन्तर काम करने से कम से कम चौदह दिनों के लिए) काम करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन दैनिक बेरोजगारी भत्ता आवेदक को भुगतान किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत पुरूषों व महिलाओं के बीच किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं है।

इसलिए पुरूष व महिला को समान वेतन भुगतान किया जाना चाहिए। सभी वयस्क रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह योजना 2 फरवरी 2006 को (200) जिलों में शुरू की गई जिसे 2007–08 में अन्य 130 जिलों में विस्तारित किया गया और 1 अप्रैल 2008 तक अंततः भारत के सभी 593 जिलों में इसे लागू किया गया, वर्तमान में यह योजना भारत के 682 जिलों में कार्यरत है।

उद्देश्य :–

1 ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन में मनरेगा में भूमिका अध्ययन करना ।

2 मनरेगा की कार्य प्रणाली एवं विशेषताओं का अध्ययन करना ।

परिकल्पना :–

ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से गांवों का विकास हुआ है ।

आँकड़ो का संग्रह :–

प्रस्तुत शोध पत्र में मनरेगा योजना का अध्ययन द्वितीयक आँकड़ो के आधार पर किया गया है ।

मनरेगा की अवधारणा :–

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवार जो स्वेच्छा से अकुशल श्रम करने हेतु तैयार है। ऐसे परिवार का पंजीयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्र में उपरोक्तानुसार समस्त पंजीकृत परिवारों की ग्राम पंचायत द्वारा फोटोग्राफ युक्त "परिवार रोजगार कार्ड" निःशुल्क प्रदान किया जाएगा जिसमें परिवार के समस्त वयस्क सदस्यों का विवरण होगा। किसी भी ग्राम पंचायत में कम से कम (10) परिवारों द्वारा रोजगार की मांग किए जाने पर 15 दिवस के अन्दर इस प्रकार का श्रम मूलक कार्य प्रारंभ किया जाना बंधनकारी है। जिसमें आवेदक परिवारों को कम से कम 14 दिवस का कार्य एक स्थल पर निरंतर उपलब्ध हो सके। (15) दिवस के अन्दर रोजगार उपलब्ध न कराए जाने की स्थिति में आवेदक बेरोजगारी भत्ते का पात्र होगा तथा बेरोजगारी भत्ते पर व्यय राज्य शासन को वहन करना पड़ेगा।

अधिनियम में मजदूरी व सामग्री पर 60ः 40 के अनुपात में राशि के व्यय का प्रावधान किया गया है। योजना में केन्द्र तथा राज्य द्वारा 90ः 10 में वित्त पोषण का प्रावधान है। योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी तथा प्रत्येक काम में कम से कम एक तिहाई महिलाएं होगी। 2017 बजट में महिलाओं को 55 प्रतिशत का अंशदान कार्यों में दिया गया है। योजनान्तर्गत राज्य में लागू मजदूरी दर के आधार पर मजदूरी भुगतान किया जावेगा। अगर ग्रामीणों की 5 कि. मी. की परिधि में रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दैनिक मजदूरी दर की 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देनी होगी। अधिनियम में बाध्यकारी प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक क्रियान्वयन विभाग को अधिनियम के क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी करनी होगी। अधिनियम की धारा 13 (1) के अनुसार योजना के क्रियान्वयन एवं नियोजन हेतु ग्राम/जनपद /जिला पंचायत प्रमुख संस्थाएं होगी। योजनान्तर्गत लागत के आधार पर कम से कम 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित किये जायेंगे। शेष कार्यों का क्रियान्वयन अन्य एजेंसियों द्वारा किया जावेगा। इस योजना में ठेकेदारी प्रथा पर पूर्णतः बंदिश है।

राज्य शासन के वृहद उत्तरदायित्व को दृष्टिगत रखते हुए योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला कलेक्टर की योजना क्रियान्वयन के लिए जिले के कार्यक्रम समन्वयक तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त विकासखण्ड स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के अधीन पृथक से कार्यक्रम अधिकारी एवं सहयोगी अमले होंगे एवं ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार सहायक योजना के कार्य संपादक एवं योजनाओं को ग्रामीणों द्वारा निर्देशित व क्रियान्वित करवाने हेतु नियुक्त है इत्यादि।

मनरेगा की संचालन प्रणाली का स्तर :–

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (डळछ।त्म्ळ।) का क्षेत्र भारत के लगभग सभी जिलों में व्याप्त है। इस योजना के क्रियान्वयन से संबंधित प्रमुख निकायों और उनकी भूमिकाओं का उल्लेख नीचे किया गया है। इन निकायों की भूमिका और जिम्मेदायियों का विवरण विस्तृत रूप से किया गया है–

(1) ग्राम स्तर पर :–

(क) ग्राम सभा (जी.एस.) :– इस अधिनियम में (डळछ।त्म्ळ।) के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों का चुनाव करके उस पर निगरानी और नजर रखने का एवं क्रियान्वयन के बाद सामाजिक ऑडिट संचालित करने का अधिकार ग्राम सभा को दिया जाता है। साथ ही यह भी क्रियान्वयन का प्रावधान है कि ग्राम सभा की योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग एवं सहभागिता लिया जावे। ग्राम सभा की एक ऐसे मंच के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जहां योजना के बारे में सूचना आदान–प्रदान किया जा सके।

(ख) ग्राम पंचायत (जी.पी.) :– मनरेगा के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। कार्यों की योजना तैयार करने परिवारों का पंजीकरण करने रोजगार कार्ड जारी करने, रोजगार आबंटित करने, कम से कम 50 प्रतिशत कामों को लागू करने और गांव स्तर पर योजना के क्रियान्वयन पर नजर रखने का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत को ही सौंपा गया है। मनरेगा के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत की जिम्मेदारियों में एक उल्लेखित वृद्धि की गई है।

2. ब्लॉक स्तर पर :–

(क) माध्यमिक पंचायत स्तर पर योजना की रूपरेखा तैयार करने और क्रियान्वयन के दौरान उस पर नजर रखने का दायित्व माध्यमिक पंचायत को सौंपा गया है। माध्यमिक पंचायत को उन 50 प्रतिशत कार्यों में से क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। जिन्हें ग्राम पंचायत के जरिए नहीं किया जा रहा है।

(ख) कार्यक्रम अधिकारी (पी.ओ.) :– कार्यक्रम अधिकारी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी होता है और इसे इस स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सहायक कर्मचारी उपलब्ध होंगे। कार्यक्रम अधिकारी का पद कम से कम ब्लॉक विकास अधिकारी (जी.डी.ओ.) के स्तर पर होगा। कार्यक्रम अधिकारी एक पूर्णकालीन अधिकारी होगा और उसे या तो विभागीय कर्मचारी में से अथवा किसी अन्य विभाग से डेव्यूटेशन के आधार पर चुना जा सकता है। इस पद के लिए अनुबंध के आधार पर नयी भर्ती की जा सकती है।

3. जिला स्तर पर :–

(क) जिला पंचायते

जिला पंचायते जिला स्तरीय योजनाओं का अनुमोदन करते है और जिले के स्तर पर रोजगार गारंटी योजना निगरानी तथा मार्गदर्शन के लिए उत्तरदायी होंगे। जिला पंचायतों को उन 50 प्रतिशत कार्यों में से कुछ कार्यों को सौपा जा सकता है जिन्हें ग्राम पंचायते कार्यान्वित नहीं कर रही है।

(ख) जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) :– राज्य सरकार हर जिले के लिए एक जिला कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति करेगी। यह अधिकारी या तो जिला पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या जिला कलेक्टर या जिला स्तरीय कोई अन्य अधिकारी हो सकता है। पूरे जिले में योजना के समन्वयक और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी (डीपीसी) के ऊपर होगी।

(ग) क्रियान्वयन निकाय :– पंचायतों के अतिरिक्त संबंधित विभागों (लाइन डिपार्टमेन्ट्स), स्वैच्छिक संगठनों (एन.जी.ओ.) केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय सार्वजनिक उपक्रमों तथा स्वयं सहायता संगठनों (एन.एच.जी.) की भी क्रियान्वयन निकायों के रूप में चिन्हित किया जा सकता है।

(घ) जिम्मेदारियों का बंटवारा :– योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार आवश्यक आर्थिक एवं प्रशासनिक शक्तियां जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा कार्यक्रम अधिकारी को प्रदान करेगी।

4. राज्य स्तर पर :–

(क) राज्य रोजगार गारण्टी परिषद (एस.ई.जी.सी.) :–

(डळछ।त्म्ळ।) के अनुच्छेद 12 में निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार एक राज्य रोजगार गारण्टी परिषद (संक्षेप में राज्य परिषद) का गठन करेगी। (एस.ई.जी.सी.) राज्य सरकार की योजना के क्रियान्वयन में सलाह देगी और उसके मूल्यांकन तथा निगरानी का काम करेगी।

(ख) राज्य सरकार अधिनियम का प्रावधान :– अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप (डळछ।त्म्ळ।) की रूपरेखा तैयार करेगी और उसके क्रियान्वयन से संबंधित नियम तय करेगी। राज्य सरकार एस.ई.जी.सी. का गठन करेगी और योजना के लिए संसाधनों का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु राज्य रोजगार गारण्टी निधि की भी स्थापना कर सकती है। राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि (डळछ।त्म्ळ।) के कोष में राज्य सरकार की तरफ से जाने वाला हिस्सा समय पर जारी कर दिया जाए।

(ग) रोजगार गारण्टी आयुक्त : राज्य सरकार को आयुक्त या उसके उच्चतर पद के किसी अधिकारी को राज्य ग्रामीण रोजगार गारण्टी आयुक्त नियुक्त करना होगा। यह सुनिश्चित करना कि राज्य ग्रामीण रोजगार गारण्टी आयुक्त की जिम्मेदारी होगी कि अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी जरूरी गतिविधियां संतोषजनक ढंग से सम्पन्न हो रही है। राज्य ग्रामीण रोजगार गारण्टी आयुक्त (एस. ई.जी.सी.) का सदस्य सचिव भी हो सकता है और डीपीसी के फेसलों या कार्रवाईयों के खिलाफ आई शिकायतों की सुनवाई भी कर सकता है।

5. केन्द्र स्तर पर :–

(क) केन्द्रीय रोजगार गारण्टी परिषद :– केन्द्र सरकार की ओर से केन्द्रीय रोजगार गारण्टी परिषद का गठन किया गया है। यह केन्द्रीय परिषद (डळछ।त्म्ळ।) से संबंधित मामलों में केन्द्र सरकार को परामर्श देगी और अधिनियम के क्रियान्वयन पर निगरानी और मूल्यांकन का काम करेगी। परिषद ही (डळछ।त्म्ळ।) क्रियान्वयन के बारे में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी। जिसे संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार – (डळछ।त्म्ळ।) के क्रियान्वयन के विषय में नोडल मंत्रालय होगा उसे केन्द्रीय परिषद का गठन करना होगा। अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप राज्यों तथा केन्द्रीय परिषद की सहायता के लिए आवश्यक संसाधनों की समयबद्ध व पर्याप्त व्यवस्था करनी भी उनकी जिम्मेदारी होगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को 2005 में पास किया जो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद कानून बन गया। यह कानून इस बात की गारंटी देता है कि हर ग्रामीण परिवार को अकुशल श्रमिक के रूप में काम करता है। जो एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिया जायेगा। यह अधिनियम 2 फरवरी 2006 को देश के 200 जिलों में 2007–08 में 130 जिलों में और अप्रैल 2008 में पूरे देश के सभी राज्यों (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) और केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। वर्तमान में यह भारत के 682 जिलों में कार्यरत है।

मनरेगा योजना की आंतरिक / बाह्य कार्यप्रणाली :–

1. पंजीकरण एवं रोजगार योजना :–

1. ग्रामीण रोजगार योजना (आर.ई.जी.एस.) केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित इलाकों में रहने वाले सभी ग्रामीण परिवारों के लिए उपलब्ध है। एक वित्त वर्ष के दौरान 100 दिन की गारंटी शुदा रोजगार का अधिकार भी परिवार को ही दिया गया है। प्रतिवर्ष 100 दिन के रोजगार के अधिकार का उपयोग भी परिवार के स्तर पर संयुक्त रूप से किया जा सकता है। अगर किसी परिवार मे एक से अधिक व्यक्ति करना चाहते है तो उन्हे (एक साथ अलग–अलग समय पर) काम पर रखा जा सकता है। परन्तु कुल परिवार की पात्रता 100 दिन होगी।

2. पंजीकरण करने वाले परिवार के सभी वयस्क सदस्य काम करने के लिए आवेदन दे सकते है। पंजीयन करने के लिए उन्हे निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी–

1. वह स्थानीय निवासी हो, स्थानीय का मतलब है कि आवेदक ग्राम पंचायत के भीतर ही रहता हो। उस इलाकें के प्रवासी परिवारों को भी स्थानीय निवासी परिवारों की श्रेणी में रखा जायेगा, जो परिवार कुछ समय पहले वहां से जा चुके हैं। जिनके लौट आने की संभावना अभी भी बची हुई है वह भी इस प्रावधान का लाभ उठा सकते है।

2. वह अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हो।

3. वह स्थानीय ग्राम पंचायत के समक्ष एक परिवार के रूप में आवेदन करें।

4. परिवार का आशय माता, पिता और उनके बच्चों यानी एकल परिवार से है। किसी ऐसे व्यक्ति को भी परिवार में शामिल माना जा सकता है जो पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवार के मुखिया पर आश्रित है। अगर किसी परिवार में केवल एक सदस्य तो उसे भी एक परिपूर्ण परिवार की श्रेणी में रखा जायेगा।

2. रोजगार कार्ड :–

1. प्रत्येक पंजीकृत परिवार और ग्राम पंचायत की ओर से समय पर रोजगार कार्ड जारी किया जायेगा।

2. पंजीकरण आवेदन की पुष्टि के फौरन बाद यानी आवेदन मिलने के 15 दिनों के भीतर रोजगार कार्ड जारी कर दिया जाए। प्रत्येक कार्ड पर जारी किया गया विशिष्ट पंजीकरण नम्बर अंकित होना चाहिए।

3. रोजगार कार्ड पर आवेदन देने वाले व्यस्क सदस्यों के फोटो लगे होने चाहिए।

4. रोजगार कार्ड की एक प्रति ग्राम पंचायत में रखी जाएगी।

5. रोजगार कार्ड की अवधि पाँच साल होगी। इस दौरान उसमें सदस्यों के नाम कभी भी हटाये / जोड़े जा सकते है।

6. पंजीकरण रजिस्टर में जिन व्यक्तियों के नाम जोड़े गए है / जिनके नाम हटाए गए है उनकी सूची ग्राम सभा में पढ़कर सुनाई जाएगी। ग्राम पंचायत जोड़े / हटाए गए नामों की सूची कार्यक्रम अधिकारी को मिलेगी।

7. राज्य रोजगार गारंटी परिषद रोजगार कार्ड का प्रारूप तय करेगी। रोजगार कार्ड का प्रारूप इस तरह का होना चाहिए कि उसमें संबंधित परिवार के बारें में स्थायी सूचनाओं के साथ–साथ पाँच साल के रोजगार संबंधी ब्यौरों को भी दर्ज किया जा सके।

8. आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिक के अधिकार तथा एन.आर. ई.जी. ए. के अन्य मूल तत्वों को रोजगार कार्ड के पिछली तरफ छापा जा सकता है। जिससे लोंगों को अधिनियम के बारें में आवश्यक जानकारियां मिल सके।

9. रोजगार कार्ड धारक का मूल कार्ड खो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने पर रोजगार कार्ड की नकल (डुप्लीकेट) की मांग कर सकता है।

10. अगर किसी व्यक्ति को रोजगार कार्ड न जारी होने के सवाल पर शिकायत है तो वह इस मामले को कार्यक्रम अधिकारी की जानकारी में ला सकता है। अगर उसे कार्यक्रम अधिकारी से ही समन्वयक या ब्लॉक जिला स्तर पर उत्तरदायी शिकायत निपटारा अधिकारी के पास उसकी शिकायत भेज सकता है। ऐसी शिकायतें 15 दिन के भीतर निपटरा की जाएगी।

3. कार्य के लिए आवेदन :–

1. काम के लिए आवेदन साधारणतः ग्राम पंचायत के पास ही जमा कराया जाना चाहिए। इसके साथ–साथ मजदूरों को कार्यक्रम अधिकारी के पास आवेदन जमा कराने की भी छूट होनी चाहिए हालाँकि इस विकल्प का केवल तभी इस्तेमाल किया जाएगा जब दूसरे विकल्प बंद हो चुके हो या व्यावहारिक न दिखाई दे रहे हो।

2. आवेदन सादे कागज पर लिखित रूप में दिया जाना चाहिए। इस आवेदन में निम्नलिखित जानकारियों का उल्लेख किया जाएगा– रोजगार कार्ड की पंजीयन संख्या आवेदक किस तारीख के बाद काम पर आना चाहता है तथा उसे कितने दिन रोजगार की जरूरत है।

3. साल के अलग–अलग अवधियों में बहुत दिनों के लिए एक ही आवेदन काफी होगा। यदि आवेदक चाहे तो संयुक्त आवेदन भी दे सकते है।

4. आवेदक द्वारा काम के लिए जो आवेदन जमा कराया गया है उसके बदले में आवेदक को रसीद जारी की जायेगी जिस पर आवेदन जमा होने की तारीख लिखी होगी।

5. काम के लिए आने वाले नए आवेदनों के बारें में ग्राम पंचायत की और से कार्यक्रम अधिकारी को हर सप्ताह कम से कम एक बार जानकारी दी जाएगी। ग्राम पंचायत को यह भी बताना होगा कि पंचायती कामों में कितने नए आवेदकों कों काम दिया जा रहा है। तथा कितने आवेदकों को कार्यक्रम अधिकारी के अंतर्गत अन्य कार्यों में रोजगार दिया जाएगा।

4. रोजगार गारंटी दिवस :–

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत में सप्ताह के किसी खास दिन को काम से संबंधित आवेदनों पर विचार करने तथा सूचनाओं की घोषणा, रोजगार आबंटन, वेतन भुगतान और बेरोजगारी भत्ते में भुगतान जैसी अन्य गतिविधियों के लिए तय कर दिया जाना चाहिए।

2. रोजगार गारंटी दिवस को प्राप्त होने वाले कार्य आवेदनों को तुरंत कार्यक्रम अधिकारी के पास प्रेषित कर दिया जाएगा।

3. ग्राम पंचायत के मुखिया और आर.ई.जी. एस. के क्रियान्वयन में सहायता देने के लिए ग्राम पंचायत के अंतर्गत नियुक्ति किये गए कर्मचारी (ग्राम रोजगार सेवक) को रोजगार गारंटी दिवस पर मौजूद रहना चाहिए।

4. रोजगार गारंटी दिवस की कार्यवाही एक खुले सार्वजनिक स्थान पर संचालित की जानी चाहिए।

5. समयबद्ध रोजगार :–

1. आवेदन प्राप्त होने के तारीख से 15 दिनों के भीतर आवेदक को रोजगार उपलब्ध कराना ग्राम पंचायत / कार्यक्रम अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। अग्रिम आवेदन की स्थिति में रोजगार उसी तारीख से उपलब्ध कराया जाएगा जिस तारीख से रोजगार देने की मांग की गई है।

2. अगर कोई ग्राम पंचायत किसी आवेदक को 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नही करा पाती है तो उसे रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेंदारी कार्यक्रम अधिकारी के ऊपर होगी। कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा आवेदक को आबंटित किए गए रोजगार के बारें में ग्राम पंचायत को भी सूचित कर दिया जाएगा।

3. अगर कोई क्रियान्वयन निकाय कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश के बावजूद समय पर काम शुरू नही कर पाता है या ग्राम पंचायत द्वारा काम के भेजे गए व्यक्तियों को काम पर नहीं रखता है तो कार्यक्रम अधिकारी को उन आवेदकों को समय पर रोजगार दिलाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी होगी।

4. अधिनियम के अनुच्छेद 14 (डी) के मुताबित सभी आवेदकों को उनके अधिकारों और योग्यता के अनुसार रोजगार दिलाने के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक को कार्यक्रम अधिकारी तथा क्रियान्वयन निकायों के साथ तालमेल करना होगा। अगर कार्यक्रम अधिकारी आवेदकों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाता है तो आवेदकों को रोजगार दिलाने के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक हस्तक्षेप कर सकता है।

6. परियोजनाएँ और उनका क्रियान्वयन स्वीकार्य परियोजनाएँ :–

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में मूलभूत रोजगार गारंटी सुनिश्चित करना है। इस अधिनियमों में ऐसी गतिविधियों या परियोजनाओं का भी उल्लेख किया गया है जो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलाई जाएगी। अधिनियम की अनुसूची 1 के मुताबित ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आर.ई.जी. एस. के तहत इस तरह के काम किए जाऐंगे।

• जल संरक्षण एवं जल संचय ।

• सूखे से बचाव के लिए वृक्षारोपण और वन संरक्षण।

• सिंचाई के लिए सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं सहित नहरों का निर्माण ।

• अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति परिवारों या भूमि सुधारों के लाभांवितों या इंदिरा आवास योजना लाभांवितों की जमीन तक सिंचाई की सुविधाएँ पहुँचाना।

• परम्परागत जल स्त्रोतों के पुनर्नवीकरण हेतु जलाशयों से की निकासी ।

• भूमि विकास ।

• बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा परियोजनाएं जिनमें जल भराव से ग्रस्त इलाकों से पानी की निकासी भी शामिल है।

• गाँवों में सड़को का व्यापक जाल बिछाना ताकि सभी गांवों तक बारहों महीने सहज आवाजाही हो सकें। सड़क निर्माण परियोजनाओं में जरूरत के हिसाब से पुलिया भी बनाई जा सकती है।

• राज्य सरकार के साथ परामर्श के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी अन्य कार्य।

2. स्वीकार्य परियोजनाओं की यह सूची प्राथमिकता वाले विषयों पर आधरित है। कुछ खास परिस्थिति में प्रावधान किया गया है कि राज्य एवं केन्द्र सरकार के बीच परामर्श के आधार पर स्वीकृत परियोजनाओं की सूची में किसी और काम या परियोजनाओं को भी जोड़ा जा सकता है।

3. यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी सावधानी बरती जाए कि आर.ई.जी. एस. के अंतर्गत होने वाले कामों में किसी भी तरह के सुधारों से इलाकों के कमजोर तबके के लोगों को लाभ जरूर पहुँचे।

4. एन.आर.ई.जी.ए. संसाधनो का इस्तेमाल भूमि अधिग्रहण के लिए नही किया जाएगा।

जहाँ न्यूनतम वेतन पर रोजगारों की मांग अपेक्षातया ज्यादा है ऐसे इलाकों में परियोजनाओं का निर्धारण सबसे पहले किया जाना चाहिए।

क्रियान्वयन निकाय :–

1. लागत के लिहाज से कम से कम 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगें।

2. अन्य क्रियान्वयन निकायों में माध्यमिक एवं जिला पंचायतों संबंधित सरकारी विभागों, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्रों उपक्रमों केन्द्र एवं राज्य सरकारों की आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली सहकारी सोसायटियों और ऐसे प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठनों (एन.जी.ओ.) को शामिल किया जा सकता है।

3. क्रियान्वयन निकायों का चयन उनकी तकनीकी दक्षता और संसाधनों उपलब्ध समय सीमा के भीतर काम पूरा कर पाने की क्षमता, कामों के बारें में उसकी छबि और लाभांवितों की रूचि के आधार पर किया जाएगा।

4. अगर कोई क्रियान्वयन निकाय (ग्राम पंचायत सहित) 15 दिन के भीतर अपने काम को लागू करने में विफल रहता है तो इस बारें में उसे तत्काल कार्यक्रम अधिकारी को सूचित करना होगा ताकि वह समय रहते इस काम को किसी और निकाय को सौंप सकें। यदि ग्राम पंचायत किसी काम को 15 दिन के भीतर लागू नही करती है तो कार्यक्रम अधिकारी रोजगार के लिए आवेदन देने वालों को किसी और क्रियान्वयन निकाय के अंतर्गत चल रहे कामों में रोजगार दिलाने के लिए निर्देश दे सकता है। विभिन्न गतिविधियों के लिए समय तय करते हुए कामकारों की जरूरतों, खासतौर पर प्रवासी मजदूरों की जरूरतों पर ध्यान जरूर दिया जाएगा।

5. जैसा कि अधिनियम (अनुसूची 1) में कहा गया है इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में ठेकेदारों की किसी भी स्तर पर शामिल नहीं किया जाएगा।

महात्मा गांधी नरेगा की आलोचनाएं :–

महात्मा गाधी नरेगा की कई आधार पर आलोचना की गई है मुख्य आलोचनाएं हैं–

1 . कार्यान्वयन में अनुत्साह– हाल की अवधि में महात्मा गांधी नरेगा को लागू करने में अनुत्साह फैल रहा है। रोजगार सृजन की गति कम हो रही है खासतौर पर गरीब व उपेक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जातिया एवं जनजातियों के लिए जहा वर्ष 2009–10 में प्रति परिवार 54 व्यक्ति दिन रोजगार प्रदान किया गया वहा वर्ष 2010–11 में 47 व्यक्ति दिन, वर्ष 2011–12 में 43 व्यक्ति दिन तथा वर्ष 2012–13 में (दिसंबर 2012 तक) केवल 35 व्यक्ति दिन रोजगार ही प्रदान किया जा सका (जबकि लक्ष्य 100 व्यक्ति दिन रोजगार प्रदान करना था) । योजना के प्रति अनुत्साह इस बात से भी सिद्ध होता है कि वर्ष 2010–11 तथा वर्ष 2011–12 में इस योजना के तहत काफी बड़ी राशि खर्च ही नही की गई।

2 . कार्यान्वयन में अनिमितताएं – महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन मे व्यापक अनियमितताएं हैं तथा घूसखोरी व्याप्त है। उदाहरण के लिए महात्मा गाधी नरेगा पर 2007 मे प्रकाशित अपनी एक रिपोर्ट में काम्पट्रोलर एवं आडिटर जनरल ने संकेत किया कि बिहार मे 7 कार्यों पर फर्जी (कल्पित) श्रमिकों के नाम 8.99 लाख रुपए का मजदूरी भूगतान किया गया (एक ही श्रमिक का एक ही अवधि मे दो या तीन कार्यों में नाम दर्ज पाया गया)।

3. नामावली में छेड़छाड़ नामावली में छेड़छाड़ व परिवर्तन करने के कई किस्से सामने आए है। उदहारण के लिए अनुपस्थित को उपस्थित में बदलने, काम के दिनों मे हेर फेर करने जैसी गड़बड़िया की गई हैं। कुछ स्थितियों में नामावली में उन लोगों के नाम भी मौजूद पाए गए है जो बहुत पहले गांव छोड़कर अन्य स्थानों को चले गए थे। यहां तक कि कभी–कभी मृत व्यक्तियों के नाम भी नामावली में दर्ज पाए गए।

4. व्यापक भ्रष्टाचार – विभिन्न शोधकर्ताओं और संगठनों द्वारा देश के विभिन्न भागों में किए गए सर्वेक्षणों से महात्मा गांधी नरेगा में व्यापक स्तर पर फैले भ्रष्टाचार का पता लगा है। झूठे व नकली बिलो, बढ़ा–चढ़ाकर लिखे गए खर्चे, सस्ते व खराब क्वालिटी के माल के इस्तेमाल, गांव के मुखिया लोगों व सरकारी अफसरो द्वारा धन के गलत प्रयोग इत्यादि के कई उदाहरण सामने आए है। उदाहरण के लिए, भीलवाड़ा (राजस्थान) में अक्तूबर 2009 में किए गए सामाजिक अकेक्षण में पाया गया है कि प्रति पंचायत लगभग 12 लाख रुपये के बराबर धन की चोरी (सब पंचायतों में कुल मिलाकर 1.5 करोड़ रुपए की चोरी हुई। वर्ष 2009–10 में राजस्थान के लिए महात्मा गांधी नरेगा में 9,525 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी जिसमें से 60 प्रतिशत मजदूरी के रूप में तथा 40 प्रतिशत माल के लिए खर्च होना था। भ्रष्टाचार के ऊपर व्यक्त अनुमान के अनुसार ऐसा लगता है कि माल पर कुल खर्च के एक तिहाई की चोरी हुई और चोरी से पंचायतो के सरपंच, ग्राम सेवक, सचिव, इंजीनियर, ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता, इत्यादि कई लोग लाभान्वित हुए। समाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से इस प्रकार के भ्रष्ट्राचार के जो संकेत मिले है उनसे डर कर राज्य सरकारों ने पंचायतों को यह अनुमति दे दी है कि वे अपनी निष्पत्ति का मूल्यांकन स्वयं कर सकती है। यह अंकेक्षण के इस

आधारभूत सिद्धांत के विपरीत है कि अंकेक्षण उन लोगों द्वारा किया जाना चाहिए जो उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा नही है। ग्राम सभाओं को यह अधिकार देने का अर्थ यह हुआ कि काम करने वाला स्वयं ही जूरी तथा जज हैं।

5. मजदूरी का गिरता हिस्सा – यह बात भी सामने आई है कि कई ग्राम पंचायतों के भुगतानों में मजदूरी के हिस्से में तेज गिरावट हुई है। उदाहरण के लिए, राजस्थान मे सोनायना पंचायत के खाते से यह पता लगा कि कुल व्यय में श्रम मजदूरी का हिस्सा जो 2007–08 में 67 प्रतिशत था, 2009–10 में मात्र 10 प्रतिशत रह गया। महात्मा गांधी नरेगा में मजदूरी के हिस्से में यह तेज गिरावट अत्यन्त चिन्ता का विषय है क्योंकि यह तथ्य इस पूरे कार्यक्रम के औचित्य पर ही प्रश्नचिन्ह लगाता है (क्योंकि महात्मा गांधी नरेगा रोजगार गारंटी का कार्यक्रम है)।

6. मजदूरी के भुगतान में देरी– कई राज्यों से शिकायते आई है कि मजदूरी का भुगतान 15 दिनो की निर्धारित अवधि में नहीं किया जाता। जो लोग महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों में काम करने आते हैं वे अवसर निर्धनतम वर्ग के होते हैं जिनके पास कोई वैकल्पिक रोजगार नहीं होता। इसलिए समय पर मजदूरी न मिलने से ये लोग या तो ऋण लेते है या फिर अपना गांव छोडकर अन्य स्थानों पर जाने को मजबूर होते हैं। ऐसे उदाहरण भी मिले है कि न केवल श्रमिकों को मजदूरी समय पर नहीं दी गई अपितु पुरानी दरो पर दी गई।

7. स्टाफ की कमी– महात्मा गांधी नरेगा के सफल कार्यान्वयन में समर्पित प्रशासनिक व तकनीकी स्टाफ की कमी एक बहुत बड़ी अड़चन रही है। कुछ राज्यों में प्रोग्राम अफसर तथा ग्राम रोजगार सेवको की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। ब्।ळ के अनुसार स्टाफ में कमी, निर्देशों के न पालन करने का सामान्य बहाना बन गया है।

8. बेरोजगारी भत्ते की अदायगी न होना– जैसाकि पहले कहा गया है, अधिनियिम की धाराओं में यह व्यवस्था है कि बेरोजगारी भत्ते का भुगतान राज्य सरकार को करना पडेगा। इस प्रावधान को इसलिए शामिल किया गया ताकि राज्य सरकारे रोजगार प्रदान करने की भरसक कोशिश करें क्योंकि रोजगार प्रदान करने की 90 प्रतिशत लागत का भार केन्द्र सरकार उठाती है। परन्तु कई राज्य सरकारों ने बेरोजगारी भुगतान करने में आनाकानी की है तथा कभी–कभी इसकी राशि को कम करने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यो में बेरोजगारी भत्ते का भुगतान तो अवश्य किया गया परन्तु केवल कुछेक श्रमिकों को और वह भी लम्बे संघर्ष के बाद। इस भुगतान का भार भी केन्द्र सरकार पर डालने की कोशिश की गई।

9. अनुत्पादक परियोजनाएं – जहां तक डळछत्म्ळै के अधीन चल रही योजनाओं की गुणवत्ता का प्रश्न है, सेंटर फॉर इन्वायरनमेटल कनसर्स (ब्मदजमत वित म्दअपतवदउमदजंस ब्वदबमतदे) के निदेशक के. एस गोपाल ने कहा है कि जिन परिसंपत्तियों का निर्माण किया जा रहा है उनमें बहुत सी बेकार ँजम) है तथा कमोवेश अनुत्पादक (न्दचतवकनबजपअम) है। उनके अनुसार, सरकार शायद यह समझती है। परन्तु जैसे ही काम खत्म हो जाता है, परियोजना को बन्द कर दिया जाता है।

हाल में प्रकाशित अपने अध्ययन में राघवेन्द्र झा तथा राघव धैया ने चार कसौटियों पर मनरेगा को परखा है (प) प्रति परिवार रोजगार के औसत दिन; (पप) 100 दिन रोजगार प्राप्त कर पाने में सफल परिवारो का प्रतिशत; (पपप) कुल उपलब्ध साधनों की तुलना में वास्तविक व्यय; (पअ) पूरे किए जाने वाले कार्यों का प्रतिशत। 100 दिन रोजगार कर पाने में सफल परिवारों व्यय 2010–11 में 39.77 करोड़ रुपए था जो 2011–12 में कम होकर 38.035 करोड रुपए तथा 2012–13 में (दिसंबर 2012 तक) केवल 25.075 करोड़ रुपए रह गया। कुल उपलब्ध साधनो के प्रतिशत के रूप में वास्तविक व्यय 73 प्रतिशत से गिर कर 63 प्रतिशत रह गया। जहां 2011–12 में 51 प्रतिशत कार्यों को पूरा किया जा सका था वहां 2012 – 13 मे (दिसंबर 2012) केवल 14.5 प्रतिशत कार्य को ही पूरा किया जा सका। कार्यों को पूरा कर पाने में यह तेज गिरावट इस बात का संकेत है कि उपयुक्त परियोजनाओं को बनाने तथा उन्हे कार्यान्वित कर पाने में शिथिलता आई है। इसके अलावा, परियोजना स्थल पर कार्यों के कार्यान्वयन में अनुत्साह नजर आ रहा है तथा कई बार साधनो का भ्रष्टाचार के कारण, गलत तरीकों से इस्तेमाल हुआ है।

निष्कर्ष :–

मनरेगा की उपरलिखित आलोचनाओं स्पष्ट है, अधिकतर आलोचनाएं इसके असंतोषजनक कार्यान्वयन को लेकर है। योजना के मूलाधार व उसकी उपयोगिता को लेकर कोई संशय नही है। बहुत से अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत हैं कि मनरेगा में ग्रामीण आर्थिक व सामाजिक संबंधों को कई स्तरों पर बदलने की संभावना व सामर्थ्य है। सर्वेक्षणों से यह भी ज्ञात हुआ है कि इससे अत्यन्त पिछड़े वर्गों के शक्तिकरण में सहायता मिली है। सी.पी. चन्द्रशेखर एवं जयति घोष के अनुसार, यह कार्यक्रम उस पूरी व्यवस्था को उलटने की क्षमता रखता है जिसके तहत सरकार अपने नागरिको से संबंध स्थापित करती है, तथा यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रो, सरकार, स्थानीय महाबलियों व स्थानीय मजदूर वर्ग के अंत संबंधों को पुनः परिभाषित करता है इस प्रकार, अपनी मूल भावना में मनरेगा अब तक के तमाम मजदूरी रोजगार कार्यक्रमो से नितान्त भिन्न है क्योकि यह रोजगार को अधिकार के रूप में स्वीकार करता है तथा यह मांग–प्रेरित (कमउंदक कतपअमद) है। इसके अलावा, मनरेगा में स्थानीय लोगों को कार्यक्रम बनाने तथा उन पर निगाह रखने के जिस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं वे पहले मौजूद नहीं थे। चन्द्रशेखर एवं घोष के अनुसार, मनरेगा के अधीन सार्वजनिक व्यय का

समावेशी स्वरूप न केवल सामाजिक तथा कल्याणगत आधार पर वांछित है, वह आर्थिक आधार पर भी सर्वथा न्यायोचित है। सीधे तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रमिको को मजदूरी आय उपलब्ध करा कर वह समग्र मांग में व्यापक वृद्धि करने में सहयोग देता है क्योकि इस व्यय का गुणक प्रभाव काफी अधिक होता है। इस प्रकार, यह मंदी के विरूद्ध प्रभावी समष्टि आर्थिक अस्त्र है। वस्तुतः मनरेगा के अधीन व्यापक स्तर पर धन खर्च करने से तथा उस धन के एक बहुत बड़े हिस्से का मजदूरी के भुगतान के रूप में बटवारा होने से, पिछले 25 वर्षो में पहली बार ऐसा हुआ है कि दो वर्षो 2010–11 तथा 2011–12 में ग्रामीण व्यय का स्तर, शहरी व्यय के स्तर से भी अधिक रहा है। यद्यपि ऊपर व्यक्त कारणों की वजह से मनरेगा को चालू रखना उपयुक्त है तथापि इसके कार्यान्वयन में आ रही अकुशलताओं व गड़बड़ियो का समाधान करना जरूरी है। इसके लिए आवश्यक है कि इस योजना के सामाजिक अंकेक्षण (वबपंस ।नकपज) की व्यवस्था की जाए ताकि इसमे अधिक पारदर्शिता लाई जा सके तथा सही उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकें। उपरोक्त से यह ज्ञात हुआ कि अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीणों को मनरेगा योजना की अवधारणा का ज्ञान है। अलग–अलग उत्तरदाताओं की अपनी मानसिकता के आधार पर आकड़े सामने आये है। जिसका सार यह है कि वे मनरेगा को रोजगार का अस्थायी साधन एवं गरीबी दूर करने का विकल्प मानते है।

संदर्भ सूची :–

1. योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली
2. वार्षिक प्रतिवेदन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज.
3. एम.आई.एस. रिपोर्ट
4. कार्यालय जिला परिषद्, अलवर
5. कार्यालय डी.आर.डी.ए., अलवर
6. ई पंचायत पोर्टल, जिला अलवर